5/3/18	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0 प्रतिवादी। लगायत 6 की तलबीबाद तामिल प्राप्त। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही/अवलोकनार्थ दिनांक 7/5/18 को पेश हो।
7.5.18	पत्रावली का लोक अदालत हेतु चयन किया गया पक्षकारान को नोटिस जारी हो पत्रावली दिनांक 23-6-18 को केम्प जालिमपुरा में पेश हो।
23/6/18 वादिनी का नाम हमारे साथ सहखातेदारी में दर्ज किया जावें। [signature]	पत्रावली लोक अदालत केम्प जालिमपुरा में पेश हुई। प्रतिवादी नं0 2 मजमें आम में उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान् को मजमें आम में सुना गया। प्रतिवादी नं0 2 ने कथन किये कि वादनी लीला बाई मेरी बहिन है। जिसने मेरे पिता की भूमि में नाम दर्ज करवानें एवं

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
बंटवारा करनें के लिए दावा पेश किया है। साथ ही कथन किये कि विवादित आराजी में लीला बाई का नाम दर्ज नहीं है, जबकि उसका नाम भी खातें में दर्ज किया जाना था। अन्य प्रतिवादीगण की ओर से भी मैं सहमति देता हूँ कि लीला बाई पुत्री मोहन लाल का नाम हमारें साथ खातें में दर्ज कर दिया जावें। सहमति स्वरूप प्रतिवादी नं0 2 ने आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। मजमें आम में पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। प्रतिवादी नं0 2 द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचार किया। प्रतिवादीगण की ओर से यह तथ्य माना गया है कि वादनी मोहनलाल की पुत्री है। जिसका नाम विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होनें से छूट गया था। प्रतिवादीगण की ओर से वादनी का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज किये जानें की सहमति प्रकट की है। जिससे वाद वादनी स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। लिहाजा वाद वादनी आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम जालिमपुरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 70 रकबा 0.03 हे0, ख0नं0 71 रकबा 0.15 हे0, ख0नं0 119 रकबा 1.29 हे0 भूमि में प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 के साथ वादनी को सहखातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय मजमें आम में सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प जालिमपुरा

उनवान

लीलाबाई पुत्री मोहनलाल पत्नी मन्नालाल जाति राव निवासी जालिमपुरा हाल निवासी वार्ड नं0 3 नील कंठ कॉलोनी, बांरा

– वादनी

बनाम

1. नन्दलाल पुत्र मोहनलाल
2. नेमीचन्द पुत्र मोहनलाल
3. राधेश्याम पुत्र मोहनलाल
4. अनार बाई पुत्री मोहनलाल
5. ललता बाई पुत्री मोहनलाल जाति राव निवासीगण जालिमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद, तहसील दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53–88–89–188 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर– 41/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " वाद वादनी आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम जालिमपुरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 70 रकबा 0.03 हे0, ख0नं0 71 रकबा 0.15 हे0, ख0नं0 119 रकबा 1.29 हे0 भूमि में प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 के साथ वादनी को सहखातेदार घोषित किया जाता है।" तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 23.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner